भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2512

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल केंद्र

2512. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः **श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

श्री पुट्टा महेश कुमारः **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्थापित कौशल केंद्रों की संख्या राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले सहित जिला-वार कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में इन केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित और नियोजित ग्रामीण युवाओं (पुरुष और महिला) की कुल संख्या कितनी है, साथ ही साथ अजा/अजजा/अपिव, अल्पसंख्यक और दिव्यांग लाभार्थियों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या आन्ध्रप्रदेश सहित कितनी है;

(घ) उक्त कौशल केंद्रों, विशेषकर कोनासीमा जिले में उपलब्ध पाठ्यक्रमों और प्रदान किए जाने वाले रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है और साथ ही साथ प्रत्येक पाठ्यक्रम के तहत उपलब्ध कुल सीटों, तैनात शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए नए कौशल केंद्र स्थापित करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में अल्पसेवित क्षेत्रों में कौशल केंद्रों का विस्तार करने और ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) एवं (ङ) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। एमएसडीई की कौशल विकास योजनाएँ मांग आधारित हैं और प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) देश भर में आवश्यकतानुसार स्थापित/संचालित किए जाते हैं।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या निम्नलिखित है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पीएमकेवीवाई केंद्र**	**जेएसएस कार्यात्मक केंद्र**	**एनएपीएस कार्यात्मक प्रतिष्ठान**	**सीटीएस (कार्यात्मक आईटीआई)^**
अंडमान और निकोवार द्वीप समूह	5	1	25	4
आंध्र प्रदेश	**370**	**6**	**1,257**	**521**
अरुणाचल प्रदेश	82	-	30	10
असम	797	6	995	47
बिहार	537	21	699	1356
चंडीगढ़	10	1	190	3
छत्तीसगढ	177	14	335	227
दिल्ली	144	3	3,135	46
गोवा	6	1	530	13
गुजरात	266	8	13,193	493
हरियाणा	529	2	6,211	380
हिमाचल प्रदेश	179	11	810	268
जम्मू और कश्मीर	543	2	632	56
झारखंड	206	13	485	354
कर्नाटक	397	12	2,830	1467
केरल	130	9	2,061	442
लद्दाख	11	2	16	3
लक्षद्वीप	1	1	2	1
मध्य प्रदेश	1,350	29	1,267	953
महाराष्ट्र	570	21	10,053	1045
मणिपुर	163	4	31	11
मेघालय	93	1	46	8
मिजोरम	106	1	24	3
नागालैंड	85	2	26	9
ओडिशा	239	29	800	500
पुदुचेरी	22	-	268	15
पंजाब	572	2	1,049	329
राजस्थान	1,453	9	1,149	1543
सिक्किम	37	-	79	4

तमिलनाडु	489	9	3,200	457
तेलंगाना	118	6	1,485	301
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9	2	145	4
त्रिपुरा	117	2	110	22
उत्तर प्रदेश	2,581	47	7,276	3300
उत्तराखंड	196	8	850	170
पश्चिम बंगाल	250	8	1,539	317
योग	**12840**	**293**	**62833**	**14682**

**ये केंद्र 31.10.2025 तक की अवधि के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 के नवीनतम संस्करण के हैं, जो 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए लागू हैं।*

^सीटीएस योजना के अंतर्गत, यह डेटा सत्र 2024-25 के लिए कुल आईटीआई (सरकारी और निजी) की संख्या का है।

कोनासीमा सहित आंध्र प्रदेश के जिलों में दिनांक 31.10.2025 तक एमएसडीई के प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत कार्यात्मक प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की संख्या निम्नानुसार है:

जिले का नाम	**प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या**			
	पीएमकेवीवाई	**जेएसएस कार्यात्मक केंद्र**	**एनएपीएस कार्यात्मक प्रतिष्ठान**	**सीटीएस (कार्यात्मक आईटीआई)^**
अनकापल्ली	2	-	25	33
अनंतपुर	29	1	105	23
अन्नमय्या	5	-	12	14
बापतला	3	-	9	20
चित्तूर	23	-	108	17
पूर्वी गोदावरी $	**16**	**-**	**191**	**28**
एलुरु	5	-	49	19
गुंटूर	30	-	165	13
काकीनाडा	4	-	84	14
कृष्ण	21	-	201	20
कुरनूल	26	-	140	17
नांदयाल	4	-	25	21
एनटीआर	1	1	111	11
पलनाडु	3	-	16	19
पार्वतीपुरम मन्याम	1	-	2	7
प्रकाशम	22	1	50	39
एसपीएसआर नेल्लोर	31	-	62	23

श्री सत्य साई	5	-	31	15
श्रीकाकुलम	19	-	46	23
तिरुपति	5	1	92	27
विशाखापत्तनम	42	1	261	33
विजयनगरम	28	1	56	28
पश्चिम गोदावरी	20	-	105	18
वाई.एस.आर.	24	-	73	35
अलुरी सीताराम राजू	1	-	-	4

**ये केंद्र 31.10.2025 तक की अवधि के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 के नवीनतम संस्करण के हैं, जो 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए लागू हैं।*

^सीटीएस योजना के अंतर्गत, यह डेटा सत्र 2024-25 के लिए कुल आईटीआई (सरकारी और निजी) की संख्या का है।

$पूर्वी गोदावरी जिले में कोनासीमा जिले के आंकड़े भी शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, यानी 2022-23 से 2024-25 (31 अक्टूबर, 2025) तक, इन केंद्रों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों, अर्थात् पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए थे, केवल अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में ही नियोजन को विशेष रूप से ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न कैरियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(घ) एवं (च) सभी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी–जिसमें उनके संपर्क विवरण, मान्यता की स्थिति और मान्यता तिथि सहित संबद्धता का प्रमाण शामिल है–सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, और केवल एनएसक्यूएफ के अनुरूप जॉब रोल्स की ही अनुमति है; अनुमोदित जॉब रोल्स की पूरी सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उचित मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश के साथ विविध करियर अवसरों का पता लगाने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विभिन्न योजनाओं के तहत दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. कौशल विकास के लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और सामुदायिक सहभागिता संबंधी पहल ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), माईजीओवी और दूरदर्शन (डीडी) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से की जाती हैं।

ii. डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, मंत्रालय ने कौशल संबंधी जानकारी और संसाधनों की सुलभता सुनिश्चित की है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

iii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जानकारी और नामांकन चाहने वाले युवाओं के लिए एक ही स्थान पर सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम पहुंच भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

iv. राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (एनएएम) एक ऐसा मंच है जो प्रतिष्ठानों और उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाता है, साथ ही भाग लेने वाली कंपनियों में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में युवाओं में जागरूकता भी बढ़ाता है।

v. स्थानीय कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित करने में सहायता के लिए जिला कौशल समितियों (डीएससी) की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

vi. वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहन।

vii. इन क्षेत्रों में स्थापित संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को लक्षित करने वाली विशेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

viii. पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षण संस्थानों में कौशल केंद्रों का संचालन।

ix. आकांक्षी जिलों/ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को प्रशिक्षण लक्ष्यों का प्राथमिकता आवंटन।

x. दूरस्थ क्षेत्रों में युवाओं तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय एकत्रीकरण चैनल, जैसे पंचायतों और सामान्य सेवा केंद्रों का उपयोग।

xi. जेएसएस योजना का उद्देश्य भारत सरकार से 100% अनुदान प्राप्त पंजीकृत समितियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी के घर पर अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जेएसएस केंद्र आकांक्षी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और पिछड़े जिलों में मौजूद हैं, जो इन क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करते हैं।

xii. आईटीआई की स्थापना और प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का विषय है, और जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नए आईटीआई स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और संबद्धता मानकों और मानदंडों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

अनुबंध-I

'ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र' के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2512 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार प्रशिक्षित उम्मीदवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	दिव्यांग जन
अंडमान व निकोवार द्वीप समूह	5	524	440	642	3
आंध्र प्रदेश	**15,076**	**4,044**	**40,238**	**7,223**	**26**
अरुणाचल प्रदेश	527	9,509	2,114	7,114	10
असम	8,297	14,392	36,703	33,113	9
बिहार	18,268	2,606	85,611	11,241	25
चंडीगढ़	307	4	150	236	1
छत्तीसगढ	3,301	6,307	13,873	965	3
दिल्ली	3,042	235	5,437	3,446	10
गोवा	20	34	59	314	-
गुजरात	6,029	8,611	27,958	4,503	21
हरियाणा	22,247	1,302	41,244	9,351	196
हिमाचल प्रदेश	5,958	1,930	5,471	796	477
जम्मू और कश्मीर	4,288	2,464	5,675	105,459	342
झारखंड	4,329	6,966	22,124	6,236	79
कर्नाटक	10,185	3,878	45,479	10,986	37
केरल	2,851	480	16,985	9,467	11
लद्दाख	4	740	30	988	-
लक्षद्वीप	-	120	-	120	-
मध्य प्रदेश	51,377	26,337	1,78,486	19,037	1,144
महाराष्ट्र	17,631	5,403	46,426	15,725	1,042
मणिपुर	1,379	4,040	6,897	5,430	2
मेघालय	292	7,741	1,768	6,866	34
मिजोरम	138	9,786	1,786	10,174	109
नागालैंड	512	10,141	1,394	10,828	3
ओडिशा	9,323	8,123	24,149	2,128	24
पुदुचेरी	980	18	3,448	854	-
पंजाब	47,959	771	19,052	74,712	72
राजस्थान	56,432	22,804	1,74,918	19,692	376
सिक्किम	484	1,253	1,726	763	1
तमिलनाडु	24,117	1,431	69,479	11,100	60
तेलंगाना	7,903	3,341	29,392	4,226	37
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	52	29	518	59	-
त्रिपुरा	3,545	2,627	9,095	1,456	3
उत्तर प्रदेश	97,302	4,038	3,45,807	61,049	1,736
उत्तराखंड	8,952	1,187	17,883	8,172	288
पश्चिम बंगाल	15,052	2,264	11,372	11,428	12

ख. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार जेएसएस के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य
अंडमान और निकोवार	9	16	363	1,354
आंध्र प्रदेश	**9,723**	**3,636**	**19,155**	**1,942**
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	5,633	1,837	8,685	5,836
बिहार	33,937	4,357	73,363	12,370
चंडीगढ़	2,401	24	584	248
छतीसगढ	8,752	40,039	34,372	1,489
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	295	3,525	4,723	202
दिल्ली	4,011	178	2,457	1,335
गोवा	532	491	2,023	710
गुजरात	12,162	9,890	25,608	3,344
हरियाणा	6,301	2,97	8,617	488
हिमाचल प्रदेश	15,267	6,513	8,083	305
जम्मू और कश्मीर	0	1	1	1,196
झारखंड	10,859	19,555	35,875	2,749
कर्नाटक	17,123	8,186	38,323	8,178
केरल	10,240	2,259	31,615	5,899
लद्दाख	0	832	0	0
लक्षद्वीप	31	4,349	9	0
मध्य प्रदेश	46,379	24,971	74,015	14,514
महाराष्ट्र	23,401	22,760	48,844	12,348
मणिपुर	2,909	13,426	9,201	510
मेघालय	58	4,963	38	70
मिजोरम	6	5,436	4	2
नागालैंड	24	5,234	23	25
ओडिशा	43,846	41,760	70,811	1,989
पंजाब	6,245	7	2,409	259
राजस्थान	16,593	4,407	23,142	4,136
तमिलनाडु	15,607	1,436	30,978	1,745
तेलंगाना	9,626	3,795	18,230	4,969
त्रिपुरा	3,892	5,161	2,303	154
उत्तर प्रदेश	92,026	4,173	1,41,028	25,164
उत्तराखंड	14,509	1,722	9,943	1,602
पश्चिम बंगाल	15,804	2,779	5,348	2,199

ग. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार एनएपीएस के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षु।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	दिव्यांग जन
अंडमान व निकोवार द्वीप समूह	9	10	164	0	9
आंध्र प्रदेश	**9,821**	**2,198**	**22,904**	**4**	**261**
अरुणाचल प्रदेश	4	56	30	0	1
असम	2,396	2,470	9,827	0	115
बिहार	1,638	277	6,303	0	138
चंडीगढ़	512	22	646	0	17
छतीसगढ	2,474	2,457	7,813	0	64
दिल्ली	5,836	728	11,966	6	124
गोवा	1,099	2,840	7,206	3	68
गुजरात	34,008	33,965	1,10,785	12	566
हरियाणा	40,907	1,807	89,271	12	360
हिमाचल प्रदेश	6,895	897	6,370	0	59
जम्मू और कश्मीर	494	164	343	0	12
झारखंड	3,672	6,149	12,533	0	112
कर्नाटक	32,369	11,429	89,036	34	280
केरल	5,528	490	19,768	7	162
लद्दाख	2	157	2	0	0
लक्षद्वीप	1	23	0	0	0
मध्य प्रदेश	14,029	9,321	34,021	6	198
महाराष्ट्र	98,990	48,391	2,39,123	22	1,724
मणिपुर	63	15	74	0	0
मेघालय	15	161	44	0	2
मिजोरम	3	139	9	0	0
नागालैंड	0	11	4	0	0
ओडिशा	4,415	5,416	9,609	1	104
पुदुचेरी	2,329	36	3,950	0	25
पंजाब	12,583	635	12,590	0	123
राजस्थान	10,392	3,572	29,127	1	98
सिक्किम	128	159	433	1	0
तमिलनाडु	35,936	4,199	74,782	22	350
तेलंगाना	16,413	6,726	40,184	15	309
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	940	3,026	2,093	0	3
त्रिपुरा	168	203	187	0	4
उत्तर प्रदेश	37,310	2,319	1,14,275	14	504
उत्तराखंड	14,584	1,909	30,302	2	69
पश्चिम बंगाल	7,995	1,508	9,365	4	213

घ. सीटीएस के तहत नामांकित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार उम्मीदवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांगजन
अंडमान व निकोवार द्वीप समूह	0	175	934	26
आंध्र प्रदेश	50,878	13,422	1,03,528	402
अरुणाचल प्रदेश	3	2565	78	2
असम	1721	3271	8,488	84
बिहार	61,926	6,469	2,74,809	310
चंडीगढ़	1046	24	408	7
छतीसगढ	12,910	27,400	40,739	242
दिल्ली	9,900	494	3,720	286
गोवा	134	1,487	1,395	1
गुजरात	37,511	84,736	1,43,929	1,000
हरियाणा	69,010	3	66,959	235
हिमाचल प्रदेश	23,807	5,036	14,571	359
जम्मू और कश्मीर	2537	3,342	797	106
झारखंड	17,590	27,528	88,244	282
कर्नाटक	62,196	27,414	1,86,250	178
केरल	27,151	4,568	78,063	1,085
लद्दाख	6	1,461	2	4
लक्षद्वीप	0	1,011	10	17
मध्य प्रदेश	52,271	26,820	1,39,991	999
महाराष्ट्र	93,921	51,860	2,17,162	2,638
मणिपुर	213	798	519	0
मेघालय	6	3,394	6	2
मिजोरम	5	1,298	1	5
नागालैंड	0	1,207	2	0
ओडिशा	43,592	48,352	64,482	835
पुदुचेरी	712	1	1,559	73
पंजाब	52,763	13	20,321	172
राजस्थान	93,202	62,073	1,68,377	401
सिक्किम	125	477	820	0
तमिलनाडु	43,449	3,651	90,963	732
तेलंगाना	28,010	20,750	65,305	217
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	50	1,407	577	1
त्रिपुरा	1995	2,941	151	41
उत्तर प्रदेश	3,71,479	11,080	7,28,981	2,526
उत्तराखंड	15,424	3,416	7,537	126
पश्चिम बंगाल	53,218	8,081	34,663	773

*****